



2026 : AHC :40593-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29982, वर्ष 2025

शुभम यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अजय कुमार मौर्य, प्रमोद कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान **अधिवक्ता**, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्कों के पश्चात, याचिकाकर्ता के विद्वान **अधिवक्ता** ने न्यायालय के समक्ष (at the Bar) यह बयान दिया है कि वह इस याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इस स्तर पर इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका इस स्तर पर वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

23 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।